

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8) वित्त/राजस्व/17

जयपुर, दिनांक:-04.12.2017

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के उप नियम (6) के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ/साधारण वेतन संवर्ग में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदोन्नति वर्ष	वरिष्ठता का विवरण
1	श्री बृजमोहन श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त)	2015-16	श्री बृजमोहन श्रीवास्तव की वरिष्ठता श्री कैलाश चन्द सेन एवं श्री रामदेव जाट के मध्य रहेगी।
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	2015-16	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की वरिष्ठता श्री मंगल दास एवं श्री दिनेश किशोर कौशिक के मध्य रहेगी।
3	श्री फूलचन्द सैनी (सेवानिवृत्त)	2016-17	श्री फूलचन्द सैनी (सेवानिवृत्त) की वरिष्ठता श्री रामजी लाल (अजा) एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के मध्य रहेगी।
4	श्री विनय कुमार भट्ट	2016-17	श्री विनय कुमार भट्ट की वरिष्ठता श्री नूतन कुमार हर्ष एवं श्री नारायण दास टेलर के मध्य रहेगी।
5	श्री दौलतराम डामोर	2016-17	श्री दौलतराम डामोर की वरिष्ठता श्री हजारी लाल मीणा (अजजा) एवं श्री भरत लाल मीणा (अजजा) के मध्य रहेगी।

पदोन्नत अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता तालिका अनुसार होगी।

उपर्युक्त अधिकारीगणों में से पदोन्नति के उपरान्त सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एजाज नबी खान)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव